

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 से 3

यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम योजनान्तर्गत अतिरिक्त राशि रूपये 153.11 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,53,11,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 4

यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत राशि रूपये 335.23 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,35,23,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 5-6

जलगुणवत्ता से प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था हेतु राज्यांश रूपये 100.00 लाख एवं केन्द्रांश रूपये 200.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 7 से 8

ईदिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश रूपये 519.53 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 5,19,53,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 9

प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों को नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा प्रदान करने हेतु अनुदान के लिए राशि रूपये 17.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 17,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 10 से 11

पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप योजना के अंतर्गत 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सारंगढ तथा मारो में अतिरिक्त व्ययसाय प्रारंभ करने हेतु राशि रूपये 12.80 लाख का व्यय संभावित है । पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतन बैड	ग्रेड वेतन	पद संख्या
1	प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग-2	9300-34800	4200	04
2	प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग-3	5200-20200	2800	04
3	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5200-20200	2200	02
4	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4750-7440	1300	02
		योग		12

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 12,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 12 से 14

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु रूपये 1440 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 15

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2008 के दावे की राज्यांश राशि के भुगतान हेतु राशि रूपये 87.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 87,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 16

योजना के नाम परिवर्तन हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 17 से 18

केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा प्रीमियम के लिये राशि रूपये 0.48 लाख की अतिरिक्त राज्यांश राशि की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 48,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 19 से 20

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनांतर्गत राज्यांश राशि रूपये 34.09 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 34,09,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 21 से 23

केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम हेतु बस्तर जिले में प्रस्तावित कलस्टर प्रमोशन प्रोग्राम क्रियान्वयन हेतु राशि रूपये 12.49 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 12,49,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 24

श्रवण बाधित बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालय, धमतरी में भवन निर्माण हेतु रूपये 5000 लाख का व्यय संभावित है ।

अस्थि बाधितार्थ बालगृह, रायपुर में भवन निर्माण हेतु रूपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद में रूपये 50,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6408

मद क्रमांक 25

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को बारदाना क्य हेतु ऋण के लिये राशि रूपये 1200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 12,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 26

नागरिक आपूर्ति निगम को रिवाल्विंग फंड हेतु ऋण के लिये राशि रूपये 4200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 42,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।